[Shri Moinul Haque Choudhury]
Electrical Cables and Wires) Amendment Order, 1972.

[Placed in Library. *See* No. LT-2044/72].

(ii) S. O. No. 284 (E), dated the 12th April, 1972, publishing the Electrical Cables and Wires (Control) Amendment Order, 1972.

[Placed in Library. *See* No. LT-2045/72].

(i) THE INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE (RECRUITMENT) SECOND AMENDMENT RULES, 1972

(ii) THE INDIAN POLICE SERVIICE (RECRUITMENT) SECOND AMENDMENT RULES, 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951, a copy (in English and Hindi) each of the following Notifications of the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) :—

• (i) Notification G. S. R. No. 540, dated the 18th April, 1972, publishing the Indian Administrative Service Recruitment) Second Amendment Rules, 1972.

(ii) Notification G.S.R. No. 541, dated the 18th April, 1972, publishing the Indian Police Service (Recruitment) Second Amendment Rules, 1972.

[Placed in Library. *See* No. LT-2046/72].

(i) THE INDIAN POLICE SERVICE (FIXATION OF CADRE STRENGTH) SECOND AMENDMENT REGULATIONS, 1972

(ii) SECOND AMENDMENT OF 1972 TO THE INDIAN POLICE SERVICE (PAY) RULES, 1954.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (2) of section 2 of the All Indian Services Act, 1951, a copy (in English and Hindi) each of the following Notifications of the Ministry of Home Affairs :—

(i) Notification G. S. R. No. 451, dated the 19th April, 1972, publishing the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 1972.

alced in Library. *See* No. LT-2047/72].

(ii) Notification G.S.R. No. 452, dated the 19th April, 1972, publishing the Second Amendment of 1972 to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

[Placed in Library. *See* No. LT-2048/72].

STATEMENT SHOWING ACTION TAKEN ON RECOMMENDATIONS CONTAINED IN PART II OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON BROADCASTING AND INFORMATION MEDIA ON CO-ORDINATION OF MEDIA OF MASS COMMUNICATION

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAMVIR SINGH) : Sir, I beg to lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the statement showing action taken on recommendations contained in Part II of the Report of the Committee on Broadcasting and Informotion Media on Co-ordination of Media of Mass Communication. [Placed in Library. *See* No. LT-2049/72].

THE APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1972—*Continued*

SHRI A. K. A. ABDUL SAMAD (Tamil Nadu) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to avail of this opportunity to express my views pertaining to my State and my community.

First of all, I want to congratulate our Prime Minister and the Chief Minister of Tamil Nadu in understanding each other for the good of the country. We consider that both of them stand for the progressive measures that would ameliorate the conditions of the down-trodden people of India. We want that there should be close co-operation, understanding and appreciation between the Prime Minister and the Chief Minister of Tamil Nadu. But unfortunately there seems to be a concerted effort from certain quarters to create ill-will between the two.

So far as I know, the demand for autonomy by DMK, is nothing but the simple desire of having more powers to improve the conditions of the masses in that part of our country. The demand for more powers for the State is already echoed by more than one Chief Minister, even by some Chief Ministers belonging to the ruling party. So this one aspect should not destroy the otherwise cordial relationship that exists between the Centre and the State of Tamil Nadu. If at all there be any apprehension on the part of the Prime Minister I

appeal to her to have direct discussion with our Chief Minister in a free and frank atmosphere which I hope and trust will clear many of the misunderstandings.

Sir, I am pained with grief to see that no concrete effort was made to solve the problems facing the Muslims in India. Promises were made, assurances were given on the floor of the House, but there is undue delay in the introduction of the Aligarh Muslim University Bill in Parliament. This unwarranted delay has further created many problems. Sir, I have come to know that the students of the Aligarh Muslim University are not prepared to appear for the examinations until and unless the Bill is presented in Parliament. I appeal to the Government of India not to complicate the matter any further and insist upon them to introduce the Bill and fulfil the assurances given by the ruling party with regard to the preservation and continuation of the minority character of the Muslim University. Muslims of India would not brook any departure from the fundamental rights of the minorities enshrined in the Constitution. In this regard I appeal to the Government of India to accept the unanimous recommendations of the Beg Committee appointed by Shri Fakhruddin Ali Ahmed at the instance of the Prime Minister.

Sir, hon. Members of this House, Mr. Manubhai Shah and Mr. A. G. Kulkarni, have rightly brought to the notice of the Government about the staggering problem of unemployment. This problem is in its worst form amongst the Muslim community. Even the educated and deserving Muslim youths are denied the opportunity of joining the State and Central Services. Proper representation is not given to them in the Services, particularly in the Police Department. Sir, any deserving Muslim citizen of India should not be denied the right to join Government Services because he happens to be a Muslim.

Sir, when we are trying to create goodwill amongst the various communities there seems to be a conspiracy going on to spread poison amongst the younger generation. In U. P. students are asked to study text-books which contain anti-Muslim propaganda. Sir, this should be stopped. Some time ago Government appointed a Committee under that veteran educationist Dr. Saiyyadin, and they have submitted a Report but I want to know what action was taken in the light of the recommendation of the Saiyyadin Committee.

Further, I want to sound a note of warning about the reported attempts from some quarters for the amendment of Muslim Personal Law. I strongly appeal to the Government of India not to be carried away by the misguided propaganda of the enemies of Islam. The Muslim Personal Law is an integral part of the religion of Islam and freedom of religion is guaranteed by the Constitution of our secular India. I want to make it clear that the Muslims in India under no circumstances will tolerate any interference with the injunctions of Quran and Hadith.

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi): What is the position in Pakistan?

SHRI A. K. A. ABDUL SAMAD: I am not concerned with Pakistan. I am concerned with India.

श्री पृथ्वीनाथ (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, जिस एप्रोप्रिएशन बिल पर आज हम विचार कर रहे है, उसके सम्बन्ध मे जो सब से महत्वपूर्ण बात मेरी राय मे देश के सम्मुख है वह केवल एक ही है और वह यह है कि देश मे जो गरीब जनता है उसकी गरीबी कैसे दूर की जाय। उसके लिये यह सन्तोष की बात थी कि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन मे रूलिंग पार्टी ने जो स्लोगन लगाया वह यह था कि गरीबी हटाओ। मै समझता हू, देश की तवज्जह ठीक ओर दिलाई गई और हम सदन के सब लोगो का यह फर्ज हो जाता है कि हम उसको देखे कि गरीबी कैसे हटाई जा सकती है। मुझे केवल इतना अर्ज करना है कि गरीबी हटाने और उसको दूर करने से पहले हमको यह भी स्टडी करनी चाहिए कि वह गरीब देश के कौन से वर्ग के है, समाज के कौन से अंग के है, कौन से जोग्रेफिकल एरियाज है जिनमे गरीबी ज्यादा है, जिनमे गरीबी कम है। यह बात नामुमकिन है कि सारे देश की गरीबी एक दफा मे दूर हट जाय। लिहाजा, कम्परेटिवली, जहा ज्यादा गरीबी है और जहा कम गरीबी है, उसके स्टेटिस्टिक्स को इकट्ठा करना निहायत जरूरी है। मुझे खेद के साथ कहना पडता है, इस भारतवर्ष मे कही भी यह स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नही है कि रूरल सेक्टर मे पर कैपिटा इनकम क्या है और अर्बन सेक्टर मे पर कैपिटा इनकम

[श्री पृथ्वीनाथ]

क्या है। जितनी मैंने जानकारी करने की कोशिश की उसके अनुसार उत्तर प्रदेश को छोड़ कर और कहीं भी ये फिगर्स अवेलेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश के फिगर्स को अगर यह मान लिया जाए कि वही देश की करेक्ट नुमाइंदगी करती है, तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि देश में एक और ढग का अनुपात था रूरल इनकम का और अर्बन इनकम का। जब देश आजाद हुआ था और वह अनुपात या वह डिफरेन्स एक से ढाई, उससे बढ कर साढे 3 हो गया है। इसलिए हमको यह बात सोचनी पडेगी और गौर करनी पड़ेगी कि गरीबी दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम रूरल सेक्टर की इनकम को बढाने की कोशिश करे और रूरल सेक्टर की इनकम को बढाने के लिए पहली बात जरूरी यह है कि जो एग्रिकलचर से पैदा होता है उसकी रेम्युनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए, चाहे वह सुगरकेन हो, चाहे वह गेहूं हो, चाहे, वह मक्का हो, कोई भी चीज हो, जो खेती की पैदावार होती है उसको अगर पूरी इनकम नहीं मिल सकती है, रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिल सकती, तो खेती की तरफ तवज्जह करने की सारी बात बेकार हो जाती है। वैसे कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट आफ इन्डिया को केवल प्राइस कन्ट्रोल का एक अधिकार है, जिससे डाइरेक्टली वह खेती पर असर डाल सकती है। लेकिन मैंने कल भी एक सिलसिले में सदन के सम्मुख यह प्रस्तुत किया था और आज मैं फिर कहना चाहता हू, इस सवाल पर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने जो पालिसी अपनाई है वह केवल एक पालिसी है, वह कोई पालिसी नहीं। एग्रिकलचर प्राइस कमीशन एक कमीशन गवर्नमेन्ट ने बनाया है, यह खुशी की बात थी, लेकिन उसके काम करने का तरीका समझ मे नही आता क्या है। आज भी अखबारों मे खबर आती है, गेहू की कीमत कम करनी चाहिए और चावल की कीमत ज्यादा करनी चाहिए। मै नहीं कहता चावल की कीमत ज्यादा नहीं हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या गेहू की कीमत कम करने के पहले गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने देखा कि गेहू की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है। पिछली दफा सरकार ने बिडला की एम्बेसेडर कार या और भी दूसरी गाडियों के दाम कम करने की कोशिश की और इसी तरह फारेन आइल कम्पनीज के आइल के दाम कम करने की बात सोची, तो हमने देखा कि कार वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहा जा कर गवर्नमेंट आफ इन्डिया के खिलाफ आर्डर पास करवाया कि चूंकि हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए हमारी कार की कीमत बढ़नी चाहिए। आइल की जो फारेन आइल कम्पनीज है, वे अपने प्रेशर से दाम बढवा लेती है। लेकिन भारतवर्ष का जो किसान है उसकी पैदावार के दाम गिराओ। भारत सरकार यह सोचने को तैयार नही है कि उसकी कीमत क्या हो। जब तक किसान को आप उसकी पूरी कीमत नही देंगे, तब तक उसकी गरीबी दूर होने वाली नही है, पैदावार चाहे जितनी बढ जाए। इसी तरह मे अगर उसने पैदावार बढा दी और आपने उसकी कीमत कम कर दी तो उससे उसकी गरीबी बढ जाती है, कम नही होती है।

एक बात इस सिलसिले मे मुझे और अर्ज करनी है कि जहा गरीबी दूर करने के लिए हमको पैदावार बढानी पडेगी वहा हमको, यह भी देखना पडेगा कि उसका डिस्ट्रिब्यूशन ठीक से हो। उस डिस्ट्रिब्यूशन के बारे मे जो स्टेप्स लिये जा रहे है मै उनका स्वागत करता हू, सीलिंग आफ लैन्ड और सीलिंग आफ अर्बन प्रापर्टी, इन दोनो का स्वागत करता हू और गवर्मेन्ट का धन्यवाद करता हूं कि उसने इस तरफ तवज्जह रखी, लेकिन जितनी आशा सीलिंग आफ लैन्ड से यहा की जा रही है और जो ऐसा सोचा जाता है इसमे बड़ी भारी क्रांति हो जाएगी, यह गलत है। अभी उस रोज इस पर बहस चल रही थी और हमने 3 सदस्यों को कहते हुए सुना कि सीलिंग आफ लैन्ड नहीं हुई तो क्रांति हो जायेगी। मै आपको बताता हू कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बिल पेश करते हुए बताया कि जो बिल उन्होंने पेश किया है, उसमे 3 लाख एकड सर्प्लस लैन्ड निकलने वाली है। मै नही कहता यह बात कहां तक ठीक है लेकिन यह बात मान ली जाए तो 3 करोड एकड जमीन मे इस समय खेती होती है और इस प्रकार अगर 3 लाख एकड सर्प्लस निकल जाएगा

तो उससे सारे देहातो की कौन सी क्राति, राजनैतिक या सामाजिक होने वाली है, यह बात समझ मे नही आई। उत्तर प्रदेश मे एक लाख दास हजार गाव है और अगर तीन लाख एकड जमीन निकल आई तो फिर एक गाव को 15 बीघा जमीन आयेगी। अगर किसी गाव को 15 बीघा जमीन निकल आयेगी, तो इसमे सामाजिक क्रान्ति या आर्थिक क्रान्ति हो सकती है, यह बात मेरे अक्ल के बाहर है।

दूसरी बात यह है कि अगर किसी आदमी के पास बीस या बाईस एकड जमीन है तो आप उसकी जमीन मे 16 या 18 एकड़ की सीलिग लगाना चाहते है। इस तरह से छ एकड़ जमीन रिलीज हो जायेगी। यह जो जमीन पहिले इरिगेटेड थी वह अन-इरिगेटेड हो जाएगी। जो मेरी जमीन प्राइवेट जरियो से इरिगेटेड होती थी, जब वह रिलीज कर दी जायेगी और गवर्नमेट अपने पास ले लेगी तो वह अन-इरिगेटेड हो जायेगी। गवर्नमेट को यह बात सबसे पहिले सोचनी चाहिये और इसके लिए कोई स्कीम बनानी चाहिये। खाली सीलिग लगाने से कोई बात होने वाली नही है।

एक बात यह है कि अगर आप सीलिग लगाना चाहते है तो लैन्ड पर कीजिये और यह बात ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ ही साथ अर्बन प्रापर्टी पर भी सीलिग लगाना चाहिए। आज इन्डस्ट्रियल वैल्थ पर सीलिग क्यो नही है? आपने किसानो की जमीन पर तो सीलिग की बात मान ली है, लेकिन जो फैक्टरी लगा रहे है, जो बैंक बैलेंस बना रहे है, जिन्होने गवर्नमेट की सिक्योरिटिया ले रखी है, उनके ऊपर आप सीलिग क्यो नही लगाना चाहते है। पाच लाख सीलिग, 7 लाख पर सीलिग, जो गवर्नमेट मुनासिब समझे, लेकिन वह सीलिग टोटल वैल्थ पर लगाई जानी चाहिये चाहे वह वैल्थ एग्रिकलचर हो या नान-एग्रिकलचर हो। आज सब तरह की वैल्थ पर सीलिग लगाई जानी चाहिये और इससे देश मे इस तरह की फिजा पैदा होगी कि आप समानता का व्यवहार करना चाहते है तथा विषमता को दूर करना चाहते है। लेकिन जो बडे-बडे इन्डस्ट्रियलिस्ट हाउसेज है, जिनकी 50 करोड रुपये की कैपिटल है, जिनकी पचास करोड रुपये की पूंजी थी, आज उनकी पांच सौ और छः सौ करोड़ की पूजी हो गई है और उनकी तरफ आप आंख उठा कर भी देखना नही चाहते है और यहॉ पर बैठ कर 16 या 18 एकड की सीलिग लगा कर देश मे सामाजिक क्राति करना चाहते है और मै इस बात को समझ नही पाता हू।

दूसरी बात बेकारी को दूर करने के बारे मे है और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना आर्थिक ढाचा बदले, क्योकि जितनी इन्डस्ट्रीज आपके पास है वे सब कैपिटल इन्सेन्टिव है, आपने इन्डस्ट्रीज को अमेरीका, रूस और फारेन कन्ट्रीज से इम्पोर्ट किया है। आज देश की स्थिति ऐसी है कि हमारे पास कैपिटल नही है, हमारे पास लेबर है। लिहाजा हमे चाहिए कि जो लेबर इन्सेन्टिव इन्डस्ट्रीज है, उन्ही को लागू करना चाहिए।

तीसरी बात मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप उन चीजो को पैदा कीजिये जो आर्टिकल्स आफ नैसेसिटीज है, लेकिन आप आज जो लग्जरी गुड्स है, उनको पैदा करने की कोशिश कर रहे है। रेयन गुड्स, नाइलोन क्लाथ की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे है, कपास का कपडा पैदा करने की तरफ, खद्दर पैदा करने की तरफ आप ध्यान नही दे रहे है। आज देश भूखो मर रहा है, लेकिन आप कपडा पैदा करने की कोशिश नही कर रहे है। आज आप 70 —80 रु० गज कपड़ा तैयार करवा रहे है और उसके लिए फारेन एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे है। आपके देश का दिवाला निकला हुआ है लेकिन, आप फारेन एक्सचेन्ज लग्जरी गुड्स के लिए दे रहे है। इस तरह से आज गवर्नमेन्ट प्लान के नाम पर नान-प्लानिग की बात कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ ?

अगर गवर्नमेट यह चाहती है कि सारी चीजो पर सीलिग हो तो वह इस बारे मे आंकडे इकट्ठा करे। चाहे एग्रिकलचर सेक्टर हो, नान एग्रिकलचर सेक्टर हो, पाच लाख के ऊपर सीलिग हो, सात लाख पर सीलिग हो, पाच एकड़ जमीन पर

[श्री पृथ्वीनाथ]
सीलिग हो, वह सरकार करे, लेकिन जो मोनोपलीज हाउसेज है, जिन्होंने 100 करोड और 500 करोड की इन्डस्ट्री लगा रखी है, उन पर भी सीलिग लगाई जानी चाहिये ।

दूसरी बात मै यह कहना चाहता हू कि गवर्नमेट देश मे विषमता को मिटाना चाहती है, वह पब्लिक सेक्टर को बढावा देना चाहती है और प्राइवेट सेक्टर को डिसकरेज करना चाहती है । लेकिन आज हो क्या रहा है ? जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है, जो एक करोड की इन्डस्ट्री लगाते है, वे केवल 10 लाख रुपया ही लगाते है और 90 लाख रुपया फाइनेन्स इस्टीट्यूशनो मे लेते है । यह जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है, उनकी बात समझ मे नही आती है , क्योकि ये तो केवल अपना 10 लाख रुपया ही लगाते है और बाकी रुपया वे पब्लिक मे लेते है । 90 लाख रुपया ये पब्लिक से लेते है और गवर्नमेट यह समझती है कि हम पब्लिक सेक्टर को हेल्प कर रहे है । मै समझता हू कि सरकार जितना पब्लिक सेक्टर को हेल्प करना चाहती है, उससे ज्यादा वह प्राइवेट सेक्टर को इस समय हैल्प कर रही है । अगर आप किसी इन्डस्ट्री का इक्विटी कैपिटल देखे तो आप पायेगे कि 80 या 90 प्रतिशत तक उसमे जो रुपया है वह फाइनेन्स इस्टीट्यूशन्स का है और गवर्नमेट इन लोगो को हर तरह मे हेल्प करती आ रही है । इसलिए मै सरकार मे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हू कि उसे इस ओर ध्यान देना चाहिए । गवर्नमेट इस चीज को इस दृष्टि से देखे कि जो फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स का पैसा है वह पब्लिक सेक्टर मे ही लगना चाहिये और प्राइवेट सेक्टर को यह रुपया नही दिया जाना चाहिये क्योकि , हमारे रुपये से वे कमाते है और अपनी जेब मे डालते है ।

आप सोशलिज्म की बात करते है और आप पब्लिक सेक्टर को बहुत ऊचे पैमाने पर ले जाना चाहते है । ये लोग अपनी इन्डस्ट्रीज से जो कुछ तैयार करते है उसके द्वारा देश की जनता को एक्सप्लाइट करते है । जब आप समझते है कि काटेज इन्डस्ट्रीज मे काटन का प्रोडक्शन हो सकता है तो आपको मिल मेड इन्डस्ट्रीज को इस चीज को पैदा करने के लिए एलाऊ नही करना चाहिए । इस देश मे जितना कपडा पैदा होता है उस सारे कपडे को टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के बजाय हैन्डलूम इन्डस्ट्री या चर्खे के बेसिस पर चलाये तो इससे आप पचास लाख आदमियो को काम पर लगा सकते है और काफी बेकारी दूर कर सकते है । देश को कोई नुकसान नही होगा । आपका जितना रुपया आज इडस्ट्री मे लगा हुआ है उसको वेस्ट करने की जरूरत नही है, केवल इतना कह दीजिए कि टैक्सटाइल मिल जो माल पैदा करेगी, चाहे वह कोटन हो, चाहे गैर कोटन, उसको उन्हे एक्सपोर्ट करना पडेगा और देश मे जो कपडा इस्तेमाल किया जायगा वह केवल वह होगा जो खादी हो या काटेज इडस्ट्रीज का हो । उससे इतना एम्पलायमेट जेनरेट होगा कि 50 लाख आदमियो को रोजगार मिलेगा । अगर गवर्नमेट ऐसा कहती है कि हमने 10 करोड, 20 करोड, 50 करोड का ऐसा कन्ट्रीब्यूशन कर दिया कि अनएम्प्लायमेट के काम आएगा । मै हैरत मे हू, आपके पास 100 करोड रुपया भी है तो उससे देश का अनएम्प्लायमेट कैसे दूर कर देगे । आपने 10—20 या 50 हजार आदमियो को एम्प्लायमेट दे भी दिया तो उससे देश का अनएम्प्लायमेट कैसे दूर कर सकते है । गवर्नमेट कितने सरकारी नौकर रख कर अनएम्पलाएमेट को दूर करेगी, लेकिन एक बात है कि गवर्नमेट यह तय कर ले कि जो काटेज इडस्ट्रीज की बेसिस पर पैदावार हो सकती है, उसको एग्जेम्प्ट कर देगे और जो बडी इन्डस्ट्रीज है, वे उसमे इन्टरफियर नही कर सकती । सवाल यह उठेगा कि जो हमारे देश का रुपया इन इन्डस्ट्रीज मे लगा हुआ है उसका क्या होगा । उनसे हमे कहना चाहिए कि खूब पैदा करो, लेकिन हमारे देश वालो को एक्सप्लाइट न करो, बाहर की मार्केट को देखो ।

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश): आप सुझाव दे रहे है कि वे एक्सपोर्ट के लिए और डिफेन्स के लिए काम करे . . .

श्री पृथ्वीनाथ मै यह कहता हू कि हमारे देश के लोगो की आवश्यकताए काटेज इन्डस्ट्रीज

की बेसिस पर पूरी की जाय। मै समझता हूं कि यह बात मान ली जाय तो अनएम्प्लायमेंट को दूर करने का आसान नुस्खा निकल आएगा।

दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है उनके लिए पहले स्टेटिस्टिक्स देख लेनी चाहिए। आप अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने वाले है। क्या किसी ने स्टडी किया है कि इस सीलिंग मे कितनी जमीन निकलने वाली है और जो जमीन निकलेगी उसका क्या होगा? मै सीलिंग के फेवर मे हू, भले ही 18 एकड़ की जगह 10 एकड़ भी हो जाय, उस पर एतराज नही है, लेकिन जो कुछ भी हो वह सही ढग से हो पोलिटिकल स्टन्ट न हो। राजनीति की बात तो यह है कि हम 18 से 10 और 10 मे 5 एकड कर दे। दूसरी बात यह है कि आज तक न किसी काग्रेस रिजोल्यूशन मे और न देश मे समस्या उठी है कि जो जमीन ली जायगी उसका क्या बनेगा या जो अरबन प्रापर्टी ली जायगी उसका क्या बनेगा। जैसे किसी का 10 लाख का मकान है, आपने 3 साल की अरबन प्रापर्टी की सीलिंग कर दी तो क्या आप 7 लाख मे उसका मकान लेगे या उसको कम्पेनसेशन देगे और जो मकान आपके पास आएगा उसका क्या होगा, क्या इस तरह से आई जमीन को आप लैंडलेस लेबरर्स को देगे या जिनकी अनइकोनोमिक होल्डिग्स है उनके देंगे यह बात गवर्नमेंट के विचार करने की है कि जितने आदमी खेती पर लगे हुए है, उसमे ज्यादा आदमी खेती पर लगे, क्या यह देश की आर्थिक प्रगति के हित में होगा? मै फिर अर्ज करना चाहता हू कि गवर्नमेंट इस बात को स्टडी करे कि क्या यह देश की प्रगति के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होगा, क्या यह बात देश के फायदे में होगी कि जितने आदमी खेती मे लगे हैं उससे ज्यादा खेती मे लगें। आप ऐसे तरीके अख्तियार करें जिससे आदमी खेती पर ही नही बल्कि दूसरे कामो मे लगे। इसका मतलब यह न समझा जाय कि मैं खेती की जमीन की हदबन्दी के खिलाफ हूं। आप उसे 18,16,12 या 10 रखिए, लेकिन यह निश्चय कर लीजिए कि वह किसको दी जाएगी। यह न हो कि वह पोलिटिकल लीडर्स के हाथ में चली जाय। आप उसे हरिजनो को देना चाहते है तो दे, बडी खुशी की बात है, अनइकोनोमिक होल्डिंग वालो को देना चाहे उन्हें दें, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अनइकोनोमिक होल्डिग जो हरिजनो के हाथ मे है उनको दीजिए।

आखिर मे मै फिर कहना चाहता हूं सीलिंग लगाइए अरबन प्रापर्टी पर लेकिन आप कभी यह नही सोचते कि 50 लाख या 5 करोड रुपया जिनका बैंक मे है, 20 करोड़ रुपए के जिनके शेयर है उनको आप टच भी नही करना चाहते। यह कौन से सोशलिज्म की बात है? जनता मे क्या भावना होगी, जब वह देखेगी कि जिनके पास 10 लाख के, 50 लाख के शेयर है उनको आप छुना भी नही चाहते। बस इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री एस० डी० मिश्र : सेठ जी को मालूम होगा कि अब जितनी लैंड है वह ट्रांसफर हो रही कम्पनियो के नाम मे, उस पर भी सीलिंग होनी चाहिए।

श्री एन० एच० कुम्भारे (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति महोदय, ऐप्रोप्रिएशन बिल के सदर्भ मे आज यहा गरीबी हटाने की बात कही जा रही है। जहा तक गरीबी हटाने का सवाल है, यह देखना बहुत जरूरी हो जायगा कि आखिर गरीबी कहा है। गरीबी जहा है, वहा से उसको हटाना बहुत जरूरी है। गरीबी तीन वर्गो मे बटी हुई है। एक तो वह काश्तकार है जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, जिसको हम अनइकोनामिक होल्डिग कहते है। वह बेचारा किसी तरह से अपना गुजारा कर लेता है। एक दो महीने खेत मे काम करने के बाद उस बेचारे को काम के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है क्योकि उसकी जमीन से आमदनी इतनी कम होती है कि उससे उसका गुजारा नही होता है। इस तरह एक तो वह काश्तकार है, जिससे हमें गरीबी हटानी है।

आज देश मे विचार चल रहा है सीलिग का। मेरे खयाल से सीलिग की जो योजना है, उससे कोई विशेष लाभ नही होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि उसकी सफलता के बारे मे मुझे बड़ा

[श्री एन० एच० कुम्भारे]

संदेह है । सीलिग की बात तो देश मे बहुत पुरानी चल रही है और आज इसी विषय को लेकर मतभेद पैदा हो रहा है । उसमे स्पष्ट जाहिर होता है कि मतभेदो को दूर कर सीलिग के इस मेजर को आगे बढाने के लिए सरकार को भी काफी दिक्कतो का सामना करना पडेगा । मै आगे चल कर कहूगा कि सीलिग की योजना मे सच्चे माने मे भूमि सुधार की योजना हो नही सकती । यदि आप को सच्चे माने में भूमि सुधार की योजना कार्यान्वित करनी है, तो आपको ज्यादा क्रांतिकारी कदम उठाने पडेंगे और ज्यादा रेडिकल मेजर्स लेने पडेगे । मेरे खयाल से उसका एक ही रास्ता है कि सारे देश की जमीन का राष्ट्रीयकरण हो जाय । इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नही है । मै तो कहूगा कि सीलिग के द्वारा आप जमीन लोगो से लेगे, लेकिन उसके बाद जमीन बाटने का काम इतना काम्पलीकेटेड होगा कि उसी मे हम लोग डूब जायंगे और कुछ काम होगा नही । प्रगति की दृष्टि से जो हम आगे बढना चाहते है वह उद्देश्य अभी सिद्ध नही हुआ । राष्ट्रीयकरण ही उसका एक रास्ता है । तो मै समझता हूं कि जब सारी भूमि गोपाल की कही जाती है तो उस का मतलब यह है कि सारी जमीन जो होगी वह हिन्दुस्तान की जनता की होगी और उस जनता के माध्यम से उस जमीन की सारी व्यवस्था की जायगी । जमीन जो होगी, वह जिस गाव मे होगी वह गाव उस जमीन का सामूहिक मालिक होगा । और इसलिए मै कहना चाहता हू कि सच्चे मानों में अगर आप भूमि सुधार करना चाहते है तो ज्वायट कोआपरेटिव फार्मिंग ही एक रास्ता है । जो जमीन राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार के पास आयेगी, सारे गाव के लोग उस जमीन पर काम करने के लिए लगाये जाय और उत्पादन की दृष्टि से जो आवश्यक साधन है जैसे पानी, सीडस, वह सरकार की ओर से दिये जाय और फाइनेंस करने की जो बात है वह स्टेट करे और उसके बाद जो उत्पादन हो उससे सरकार जो फाइनेंस करती है, उस के अनुसार अपना हिस्सा ले सकती है, वहां जो काम करता है उसको उस उत्पादन से न्यायपूर्ण वेतन मिल सकता है और उनको वेतन देने के बाद जो कुछ बचेगा, जो सरप्लस रहेगा वह उस गाव की पूर्ण आमदनी हो सकती है । तो मै कहना चाहूंगा कि मोटे तौर से यह हो सकता है । वैसे तो यह एक बहुत बडी योजना है जिसका विचार देश मे होना आवश्य है लेकिन मै समझता हू कि सीलिग की योजना हमारे देश मे कामयाब होने वाली नही है । आगे चल कर एक, दो, चार साल मे सच मायनो मे अगर हम को गरीबी हटानी है तो उसका एक ही रास्ता निकलेगा और वह है जमीन का राष्ट्रीय-करण, और कोई दूसरा रास्ता उसके लिए नही है ।

मै यह कह रहा था कि यह एक वर्ग है कि जिससे हमे गरीबी दूर करनी है और उसके लिए एक यही रास्ता है । दूसरा वर्ग कौन सा है जिस की गरीबी हम को दूर करनी है, इस पर विचार करे । मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है कि जो दिन रात मेहनत करता है और उस के बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नही मिल पाता है । यह बात जरूर है कि मजदूरो मे भी कई वर्ग है । एक ऐसा मजदूर है कि जो बड़े कल कार-खानों मे काम करता है, जो सगठित है, जो सघर्ष करता है । जो लडता है और झगडता है, और ऐसे मजदूरो ने अपने लिए सारी सुविधाये प्राप्त कर ली है । कई जगहो पर ऐसे मजदूर को दो सौ, ढाई सौ रुपये महीना तनख्वाह मिलती है । एक मजदूर यह है । मगर इस मजदूर के साथ एक दूसरा मजदूर वह है कि जिस को एक दिन मे आठ और दस घटे, बारह घटे काम करने के बाद भी दो रुपया, ढाई रुपया भी नसीब नही होता । क्या आप देखते नही है उसको ? मै कहता हू कि यह जो एक डिस्पैरिटी है, इसको दूर करना चाहिए । हमारे यहा ऊची आवाज मे लोग कहते है कि जो बडे बड़े लोग है, जिन के पास सारी दौलत है, सारी इकोनामिक पावर कंसेंट्रेट हुई है जब तक उनको समाप्त नही किया जाता तब तक देश मे समाजवाद नही आ सकता, यह बात ठीक है, लेकिन हमे उन लोगो की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक है और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गभीर विचार नही किया गया है । आप की जानकारी के लिए मै एक उद्योग का उदाहरण देना

चाहता हू जिसमे मै पिछले बीस साल से काम कर रहा हूं। वह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरो का उद्योग। हालांकि बीड़ी एक मामूली सी चीज दिखायी देती है और कई लोग जब बीडी की बात आती है, तो उसे नफरत से देखते है, मगर यह बात हमको नही भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग बड़ा महत्व रखता है। वह महत्व इसलिए रखता है कि इसमें मजदूरों की एम्प्लायमेट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल मे हमारे देश मे लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग मे कार्य करते है और एक बीडी बनाने वाले पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाय, दो या तीन प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी, तो मेरे ख्याल से करीब करीब 50 लाख लोगों का यह सवाल हो जाता है। इसमें पहला सवाल तो यह है कि इस इंडस्ट्री मे जो वेतन निर्धारित किया गया है वह वेतन बहुत कम निर्धारित किया गया है। एक मजदूर जब एक हजार बीडी बनाता है तो उसके लिए उसको कम से कम दस घटे काम करना पडता है और दस घटे काम करने के बाद उसको दो, ढाई रुपया मिलता है। जहाँ 20 लाख मजदूर सारे देश मे और देश के अन्य प्रान्तो में काम करते है, क्या यह जरूरी नही था कि कम से कम इस मामले मे एक नेशनल वेज पालिसी फरमूलेट करके सारे लोगो को कम से कम न्यायपूर्ण वेतन देने के बारे मे विचार किया जाता? दुर्भाग्य की बात यह है कि हम गरीबी हटाने की बात करते है, गरीबी हटाने का नारा लगाते हैं और इस नारे को शुरू किये डेढ साल का समय गुजर जाने के बाद भी हम लोगो ने अपने देश मे मेहनत करने वाले आदमी को उस की मेहनत का न्यायपूर्ण वेतन कितना मिलना चाहिए, इस का हिसाब नही किया है। उसका हिसाब आज भी, इस समय भी नही हुआ है। इसी लिए हम देखते है कि हर प्रान्त मे उनकी मजदूरी के अलग अलग रेट्स है। कही डेढ रुपया उसको मिलता है, कही दो और कही ढाई। जहा मजदूर संगठित है, लड़ाकू है वह ज्यादा ले जाता है और जहाँ वह कमजोर पड़ जाता है, उसको मजदूरी कम मिलती है।

सरकार को एक आइडियल इम्प्लायर होना चाहिए। सरकार जब कानून बनाती है तो कहती है कि मजदूरो के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो। तो यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है कि सरकार स्वय न्यायपूर्ण मालिक बने। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतला देना चाहूगा कि पब्लिक सेक्टर में भी सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है मैंगनीज इंडस्ट्री मे। हमारे महाराष्ट्र मे और मध्य प्रदेश में मैंगनीज इन्डस्ट्री मे काम करने वाले मजदूरो की तादाद करीब 50 हजार की है और जिस तरह मे कोयला खदानों मे काम वाले मजदूरों को काफी मेहनत करनी पडती है, धूप मे काम करना पडता है उसी तरह मैंगनीज की खानो मे जो अपने देश का एक बडा महत्वपूर्ण उद्योग है,

1 P.M.

मजदूरो को बडे परिश्रमपूर्वक काम करना पड़ता है। हमारी हिन्दुस्तान की सरकार ने तीन साल पहले उनका वेतन निर्धारित किया। क्या वेतन निर्धारित किया? 2 रुपये 10 आने। क्या इस 2 रुपये 10 आने मे कोई मजदूर अपना पेट भर सकता है? आप जानते है कि मजदूरों को खाने को ज्यादा लगता है तो इतने मे वह कैसे पेट भर सकते है? 2 रुपया 10 आना एक मजदूर का वेतन निर्धारित करने के बाद इसको तीन साल बीत गये है, फिर भी उनके वेतन मे कोई वृद्धि नही हुई है! हम देखते है कि जब सरकारी नौकर का एक इन्क्रीमेंट ड्यु हो जाता है, तो एक दिन भी वह नही रुकता, वह कहने लगता है कि इस महीने में इन्क्रीमेंट था वह कहा गया, इस महीने की पगार मे उसे शामिल क्यों नही किया गया है? दूसरी तरफ मजदूरो की वही मजदूरी है जो कि बहुत पहले निर्धारित की गई थी, महगाई बढ़ती जा रही है, मगर उसके वेतन में वृद्धि नही के बराबर है। मै यह कहने जा रहा था कि एक तरफ वह मजदूर है, जिनको कि अच्छा वेतन मिलता है, जिनको कि छुट्टिया मिलती है, जिनको मेडिकल के प्रिविलेजेज है, जिनको कि बोनस मिलता है, जिनको की सारी सुविधाये मिलती हैं और एक तरफ वह मजदूर है जिनको कि काम करने के बाद जो वेतन निर्धारित है, वह भी पूरा नहीं

[श्री एन० एच० कुम्भारे]

मिलता है। मै आपके सामने बीड़ी उद्योग के मजदूरों का जिक्र कर रहा था। बीड़ी मजदूर अगर एक हजार बीड़ी बनाता है तो दो सौ बीड़ी या ढाई सौ बीड़ी अलग कर देते हैं और उसे उसकी मजदूरी नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त जो उसे तेंदू पत्ता दिया जाता है वह इतना कम दिया जाता है कि पत्ते के नाम पर भी कटौती की जाती है। उसे कोई बोनस नहीं मिलता है, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती है, उसे अन्य कोई सुविधा भी नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे लेबर के सम्बन्ध में कानून बने हुये हैं वे ठीक नही हैं, वे परफेक्ट ला नहीं हैं। इंगलैंड ने अपने लेबर लाज को परफेक्ट करने के लिये सौ साल लिए हैं तो क्या हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अपने लेबर लाज को परफेक्ट करने के लिए 50 साल या 100 साल तक इन्तजार करते रहें ? हमारे लेबर लाज को कितनी ही बार चुनौती दी गई है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीशंस को खोल कर देखेंगे तो आप इस बात को देख सकेंगे। आप देख सकेंगे कि लेबर केसेस का निपटारा करने के लिये वहां अलग से बेंच बनानी पड़ी। कोई भी कानून आ जाता है तो कारखानेदारों की मनोवृत्ति यही रहती है कि कैसे उसमें लूपहोल निकाला जाय। उनकी मनोवृत्ति यह नही है कि कानून जो बनता है उसका पालन किया जाय बल्कि मनोवृत्ति यह है कि अगर कानून बनता है तो उस कानून से निकलने की कैसे कोशिश की जाय।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज श्रमिकों का शोषण किया जाता है और इस शोषण को समाप्त करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि हमारे यहां जो मजदूर-कानून बने वह परफेक्ट बनें, ऐसे परफेक्ट बनें कि कानून के द्वारा जो उनके न्याय-पूर्ण हक हैं उससे मजदूर किसी भी प्रकार से वंचित न हो।

मैं यही कहना चाहूंगा कि गरीबी हटाने के बारे में जो कार्यवाही चल रही है वह मेरे ख्याल से एक लीपा-पोती की कार्यवाही है, बुनियादी कार्यवाही नहीं है और जब तक शासन क्रान्तिकारी कदम नहीं उठायेगा, रैडिकल कदम नहीं उठायेगा तब कब गरीबी हटाने की जो बात है वह बात ही रहेगी और आने वाले कई सालों तक गरीबी दूर नही होगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2 P. M.

The House adjourned for lunch at four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, The VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) in the Chair.

REFERENCE TO THE APPOINTMENT OF SHRI N. A. PALKHIWALA AS GOVERNMENT COUNSEL IN THE PIPELINE INQUIRY

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I wish to invite through you the attention of the House to a matter of public scandal and national calamity, namely, appointment of Shri Palkhiwala by the Government as the Government Counsel in the Pipeline Inquiry. It is rather surprising that the Government should have appointed him because he is one who stood against all the progressive measures passed by this House

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You are going to participate in the debate today. You could raise this point at that time . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: I am participating. But this is a matter on which the Government should make a statement as to why he has been appointed. The Pipeline Inquiry is being sabotaged. As you know very well, the officers tried to sabotaged it while drawing up the terms of reference so that the court could declare it invalid and Shri Nayak was reinstated or . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. RAJU): I am calling you to speak now.

SHRI BHUPESH GUPTA: This is a separate thing. Therefore, Government should come here and make a statement and tell us why this gentleman, Shri Palkhiwala, should be appointed in the Pipeline Inquiry. Is there no other lawyer in the country? Sir, I suspect this is part of the plan of those who are interested in sabotaging the inquiry. I request the Prime Minister to intervene in this matter and cancel